



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062022-236306
CG-DL-E-04062022-236306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2449]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944

No. 2449]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISTHA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2576(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2932(अ) दिनांक 26.07.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 515.000 से कि.मी. 566.520 (वज़रात रोड, पीर खो, पक्की ढाकी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " दिनांक 30.07.2021" को "डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 515.000 से कि.मी.566.520 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जम्मू				
	गांव का नाम: सिदड़ा				
1	204	निजी	गैर मुमकिन	0.0228	मालिक: धीरज सिंह बेटा 5 शेयर, अंजना देवी, संजना देवी पुत्री सरिता देवी विधवा होशियार सिंह। 1 शेयर में से 3 शेयर। मुख्तार सिंह बेटा, गीता देवी, वीणा देवी पुत्री सोबा सिंह बराबर 3 शेयर राजपूत आर / ओ में देह कल्टीवेटर: हरि चंद पुत्र बिलू राम ब्राह्मण गैर मारुसी नोट : सब रजिस्ट्रार जम्मू के आदेश के अनुसार खसरा नं. 203, 204 और 205 के लिए यथास्थिति जारी (204 मिन्)
2	205	निजी	बंजर कदीम	0.0405	मालिक: धीरज सिंह बेटा 5 शेयर, अंजना देवी, संजना देवी पुत्री सरिता देवी विधवा होशियार सिंह। 1 शेयर में से 3 शेयर। मुख्तार सिंह बेटा, गीता देवी, वीणा देवी पुत्री सोबा सिंह बराबर 3 शेयर राजपूत आर / ओ में देह, डिग्री देहांडा कुलदीप सिंह पुत्र वकील सिंह राजपूत निवासी देह डिग्री गारंदा कल्टीवेटर: मकबूजा खुद, 1 केनल -15 मरला बिना मोटरग्यु, 15मारला केंद्रीय

					सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा सिधवा मोटरग्यू नोट: म्यूटेशन नंबर 751/जीम (गिफ्ट डीड) के अनुसार हिम्मत सिंह पुत्र कुलबीर सिंह के पक्ष में प्रमाणित (205 मिन्)
3	205	निजी	बंजर कदीम	0.1897	मालिक: धीरज सिंह बेटा 5 शेयर, अंजना देवी, संजना देवी पुत्री सरिता देवी विधवा होशियार सिंह। 1 शेयर में से 3 शेयर। मुख्तार सिंह बेटा, गीता देवी, वीणा देवी पुत्री सोबा सिंह बराबर 3 शेयर राजपूत आर / ओ में देह कल्टीवेटर: मकबूजा खुद नोट : सब रजिस्ट्रार जम्मू के आदेश के अनुसार खसरा नं. 203, 204 और 205 के लिए यथास्थिति जारी (205 मिन्)
4	259	सरकारी	बंजर कदीम	0.4451	मालिक: राज्य सरकार कल्टीवेटर: मकबूजा जम्मू विकास प्राधिकरण (259 मिन्)
5	260	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0759	मालिक: राज्य सरकार कल्टीवेटर: मुफ्तीदे आम (260 मिन्)
6	261	सरकारी	बंजर कदीम	0.0658	मालिक: मकबूजा जम्मू विकास प्राधिकरण कल्टीवेटर: मकबूजा खुद (261 मिन्)
7	263	निजी	बंजर कदीम	0.0405	मालिक: नूर मुहम्मद। शरीफ, खैरदीन बेटे, सिराज बीबी विधवा अहमद दीन गुज्जर निवासी देह में बराबर शेयर कल्टीवेटर: मकबूजा खुद नोट: मंगल सिंह पुत्र बलराज सिंह, शोभा कुमारी पत्नी रविंदर कुमार म्यूटेशन नं. 1001 (263 मिन्)
8	264	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0354	मालिक: राज्य सरकार कल्टीवेटर: मकबूजा जम्मू विकास प्राधिकरण (264 मिन्)
			कुल	0.9157	

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2576(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 2932(E) Dated 26.07.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 (**Delhi - Ludhiana- Amritsar - Katra Expressway**) on the stretch of land from Km. 515.000 to Km. 566.52 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Excelsior*” and “*Amar Ujala*” both dated 30.07.2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from 515.000 to 566.520 NH-NE5 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jammu				
	Village: Sidhra				
1	204	Private	Gair mumkin	0.0228	Owner: Dheeraj singh son 5 share , Anjana devi , Sanjana Devi d/o Sarita devi widow Hoshiyar singh in eq. 3 share out of 1 share . Mukhtyar singh son , Geeta devi ,veena devi d/o of soba singh in equal 3 share Rajput R/o Deh Cultivator: Hari chand s/o Bilu ram Brahmin gair maroosi Note : As per order of Sub Registrar Jammu Status Quo issue for Khasra no. 203, 204 and 205 204 min
2	205	Private	Banjar Qadeem	0.0405	Owner: Dheeraj singh son 5 share , Anjana devi , Sanjana Devi d/o Sarita devi widow Hoshiyar singh in eq. 3 share out of 1 share . Mukhtyar singh son , Geeta devi ,veena devi d/o of soba

					singh in equal 3 share Rajput R/o Deh, Degree Dehanda Kuldeep singh s/o of Vakeel singh Rajput R/o Deh Degree Garanda Cultivator:Maqbooza khud , 1 kanal -15 marla without Mortgage , 15marla central co-operative bank limited branch sidhra Mortgage Note : As per Mutation No. 751/Jeem (Gift Deed) Attested in Favor of Himmat Singh s/o Kulbeer singh 205 min
3	205	Private	Banjar Qadeem	0.1897	Owner: Dheeraj singh son 5 share , Anjana devi , Sanjana Devi d/o Sarita devi widow Hoshiyar singh in eq. 3 share out of 1 share . Mukhtyar singh son , Geeta devi ,veena devi d/o of soba singh in equal 3 share Rajput R/o Deh Cultivator: Maqbooza khud Note : As per order of Sub Registrar Jammu Status Quo issue for Khasra no. 203, 204 and 205 205 min
4	259	Government	Banjar Qadeem	0.4451	Onwer: State Goverment Cultivator: Maqbooza Jammu development Authority 259 min
5	260	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0759	Onwer: State Goverment Cultivator: Mufeede aam 260 min
6	261	Government	Banjar Qadeem	0.0658	Owner: Maqbooza Jammu development Authority Cultivator: makbooza Khud 261 min
7	263	Private	Banjar Qadeem	0.0405	Owner: Noor Mohd. Sharif , khairdin sons , siraj Bibi widow Ahmed din Gujjar R/o Deh in eq share Cultivator: Makbooza Khud Note : Mangal singh S/o Balraj singh, Shobha Kumari w/o Ravinder Kumar Mutation no. 1001 263 min
8	264	Government	Gair mumkin Rasta	0.0354	Onwer: State Goverment Cultivator: Maqbooza Jammu development Authority Jammu 264 min
			TOTAL	0.9157	

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D]

RAJESH GUPTA, Director